Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Rajya Sabha
Unstarred Question No. 1336
To be answered on Tuesday, 3rd March, 2020
Falguna 13, 1941(Saka)

Increase/decrease in DA/DR

1336: Shri Majeed Memon:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Daily Allowance (DA) and Dearness Relief (DR) for Central Govt. employees and pensioners have become due with effect from 1st January, 2020.

(b) If so, the details thereof;

(c) Whether DA/DR is based on rise in inflation and increase in prices of essential commodities; and

(d) If so, whether the increase in DA allowance is in line with increase in price of essential items and if not, the reason therefore?

Answer

Minister of State in the Ministry of Finance
(Shri Anurag Thakur)

(a) & (b): Yes Sir. Dearness Allowance and Dearness Relief are granted to serving employees and pensioners of the Central Government respectively each year with effect from 1st January and 1st July and normally paid in the month of March and September respectively.

(c) & (d): Yes Sir. The level of inflation for the purpose of DA/DR to Central Government employees/pensioners is calculated on the basis of All India Consumer Price Index for Industrial Workers which is issued by Labour Bureau, Shimla

****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1336

मंगलवार, 03 मार्च, 2020/13 फाल्गुन, 1941 (शक)

डीए/डीआर में वृद्धि/कमी

1336. श्री माजीद मेमन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाला दैनिक भत्ता (डी.ए.) और महंगाई राहत (डी.आर.) 1 जनवरी, 2020 से देय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीए/डीआर मुद्रास्फीति में वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर आधारित होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या डीए भत्तों में वृद्धि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी, हां। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत क्रमशः केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रदान किया जाता है और सामान्यतः इसका भुगतान क्रमशः मार्च और सितम्बर माह में किया जाता है।

(ग) और (घ): जी, हां। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/महंगाई राहत प्रदान किए जाने के लिए मुद्रास्फीति के स्तर की गणना औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है जिसे श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा जारी किया जाता है।

******

https://www.staffnews.in